डॉ. (श्रीमती) एस.एल. सूद बनाम भारत संघ और अन्य

माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार

माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार और एम.एम.एस. बेदी के समक्ष

डॉ. (श्रीमती) एस.एल. सूद - याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य - उत्तरदाताओं

1999 की सिविल रिट याचिका संख्या 8501

23 अक्तूबर, 2006

भारत का संविधान, 1950,अनुच्छेद 226, 246 प्रविष्टि 66 और 311- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 24 दिसंबर, 1998 को जारी की अधिसूचना - हरियाणा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 13 मई, 1999 को जारी अधिसूचना जिसमें सरकारी कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों की अधिवषता की आयु बढ़ाकर 60 वर्ष की गई - राज्य सरकार यू.जी.सी की अधिसूचना की संस्तुति को आंशिक रूप से स्वीकार करती है लेकिन सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष बनाए रखती है - इस पर चुनौती की गई है - क्या यू.जी.सी की संस्तुति राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी हैं। निर्णय (नहीं)- प्रविष्टि 66 में सेवानिवृत्ति की आयु अथवा वेतनमान के प्रश्न का उल्लेख नहीं किया गया है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी संस्तुति में ही वेतनमान और अधिवषता को अपनाने का प्रश्न राज्य सरकार के लिए खुला छोड़ दिया है - 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने वाले निजी कॉलेजों में कार्यरत व्याख्याता - कोई भेदभाव नहीं क्योंकि सरकारी और निजी कॉलेजों में कार्यरत व्याख्याताओं के बीच अलग-अलग प्रकार की सेवाएं और नियम होते

हैं - अधिवषता की आयु को बनाए रखने के लिए सरकार अनुच्छेद 311 का उल्लंघन नहीं कर रही है- याचिका खारिज कर दी गई है।

निर्णय, प्रविष्टि 66 केवल उच्च शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों के लिए, मानकों का समन्वय और निर्धारण, से संबंधित है। यह सेवानिवृत्ति की आयु या वेतनमान के प्रश्न से संबंधित नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं और मानकों के अनुरक्षण के लिए अन्य उपायों के संशोधन संबंधी अधिसूचना, 1998 को केवल विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं बनाए रखने की सीमा तक बाध्यकारी ठहराया जा सकता है परंतु अधिवषता की आयु या वेतनमान से संबंधित मामलों के संबंध में नहीं। इस संबंध में राज्य सरकार का दृष्टिकोण प्रबल माना जाएगा। इसलिए, अनुच्छेद 245, 246 और 254 के साथ प्रविष्टि 66 में निहित प्रावधानों के आधार पर, यह निष्कर्ष निकालना असंभव है कि अधिसूचना राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी होगी।

(पैरा 6)

इसके अलावा, यह कहा गया कि राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों की सेवा की स्थिति को बदलने में, सेवानिवृत्ति की तारीख तय करके सेवानिवृत्ति की आयु कम करने में अपनी क्षमता रखती हैं और इस तरह की कार्रवाई को संविधान के अनुच्छेद 311 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

(पैरा 13)

डॉ. (श्रीमती) एस.एल. सूद बनाम भारत संघ और अन्य

माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार

याचिकाकर्ता की ओर से- अधिवक्ता, एस.के.सूद।

प्रतिवादी नंबर 1 और 2 के लिए- केंद्र सरकार के वकील, मंजीत सिंह गुगलानी।

प्रतिवादी नंबर 3 के लिए- हरीश राठी, सीनियर डी.ए.जी, हरियाणा।

<u>निर्णय</u>

माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार, (मौखिक)

1. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- प्रतिवादी संख्या 2 (संक्षिप्तता के लिए, 'यूजीसी') द्वारा जारी 24 दिसंबर, 1998 (पी -1) की अधिसूचना को लागू करने के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है, जिसमें समग्र रूप से सरकारी कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ायी जाये। (ख) सरकारी कॉलेजों में कार्यरत व्याख्याताओं की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष करने का प्रावधान करने वाले प्रतिवादी राज्य हरियाणा द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द करने के लिए एक और प्रार्थना की गई है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता जो प्रतिवादी राज्य हरियाणा में व्याख्याता (कॉलेज कैडर) के रूप में काम कर रहा है, ने 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति प्राप्त की थी और 30 जून, 1999 को सेवानिवृत्त हुए थे। याचिकाकर्ता का दावा है कि कॉलेजों में

व्याख्याता की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 वर्ष करने के लिए यूजीसी द्वारा की गई संस्तुति को प्रतिवादी-हरियाणा राज्य द्वारा लागू किया जाना चाहिए और इसलिए, प्रतिवादी राज्य द्वारा 13 मई, 1999 को जारी अधिसूचना (पी "5), जिस में सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष बनाए रखना है, वह रद्द करने योग्य है।

3. श्री एस.के. सूद; याचिकाकर्ता के वकील ने यूजीसी द्वारा 24 दिसंबर, 1998 (पी -1) के पत्र के माध्यम से की गई सिफारिशों के आधार पर तर्क दिया है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वेतनमान, भर्ती के तरीके और विभिन्न स्तरों पर शिक्षण कर्मचारियों की योग्यता के संबंध में समान मानकों को अपनाना चाहिए। पैरा 16 में शिक्षकों की अधिवषता और पुन नियोजन के प्रश्न का भी उल्लेख किया गया है और ये संस्तुति की गई सि कि शिक्षकों को 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होना चाहिय और 65 वर्ष की आयु तक विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षक को पुन नियोजित किया जा सकता है। पैरा 16.2 में विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु भी निर्दिष्ट की गई । वकील ने यूजीसी की संस्तुतियों के कुछ अन्य हिस्सों का हवाला दिया और कहा कि ये सिफारिशें केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी हैं। उनके तर्क का आधार यह है कि शिक्षा एक ऐसा विषय है जो संविधान के अनुच्छेद 246 में उल्लिखित संघ सूची की प्रविष्टि 66 में आता है। उनके अनुसार, एक बार ऐसी संस्तुतियों हो जाने के बाद, इसे सूची की प्रविष्टि 66 के आधार पर राज्य के लिए बाध्यकारी केंद्रीय कानून के रूप में माना

जाना चाहिए। अपनी दलील के समर्थन में, विद्वान वकील ने **महाराष्ट्र राज्य** बनाम **संत ध्यानेश्वर शिक्षण शास्त्र महाविद्या**[1] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर किया है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी राज्य सरकार ने संस्तुतियों के अनुसार अधिसूचना विज्ञापन पारित करके वेतनमान और शिक्षा के मानक के संबंध में योजना को अपनाया है और एक बार योजना का एक हिस्सा स्वीकार कर लिया गया हो तो प्रतिवादी राज्य को इसे पूरी तरह से स्वीकार करना बाध्य था। एक अन्य तर्क यह दिया गया है कि निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों और प्रतिवादी हरियाणा राज्य द्वारा नियोजित व्याख्याताओं के बीच भेदभाव है। निजी कॉलेज व्याख्याताओं को 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किया जाता है, जिन्हें 95% सीमा तक की सहायता का अनुदान प्रदान किया जाता है, जबकि सरकारी कॉलेजों में व्याख्याताओं को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किया जाता है। अंत में, विद्वान वकील ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के लिए रस्तोगी आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का संदर्भ दिया।

4. राज्य के विद्वान वकील श्री हरीश राठी ने सिविल सेवा नियम खंड-1 के नियम 3.26 के प्रावधानों का उल्लेख किया है और तर्क दिया है कि प्रतिवादी राज्य में सभी लोक सेवकों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है और यूजीसी द्वारा गहन विचार के बाद की गई सिफारिशों को आंशिक रूप से दिनांक 13 मई, 1999 की अधिसूचना (पी-5) के

---

[1] 2006 (3)आर.एस.जे.604

अनुसार स्वीकार किया गया है। सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष रखी गई है। वकील ने आगे ये तर्क दिया कि निजी कॉलेजों में काम करने वाले व्याख्याता याचिकाकर्ता की स्थिति, जो निजी कॉलेजों में काम करने वाले व्याख्याता के रूप में नियमों के एक अलग सेट द्वारा शासित होते हैं के समान व्यक्ति नहीं हैं और इसलिए, यदि दोनों संवर्गों की सेवा की शर्तें अलग-अलग हैं, तो समानता खंड का कोई उल्लंघन नहीं हो सकता है।

5. पक्षकारों के वकीलों को विस्तार से सुनने के बाद, हमारा विचार है कि तत्काल याचिका में कोई दम नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारी संस्कृति की विविधता के कारण भारतीय राजनीति के संघीय चरित्र को ध्यान में रखा है, इस तथ्य के बावजूद कि विभिन्न सामान्य कारक पूरे राष्ट्र को एक बंधन में रखते हैं। तदनुसार, संविधान के भाग XI में विधायी शक्ति के वितरण का प्रावधान है (अध्याय I)। संविधान के अनुच्छेद 245, 246 और 254 को संयुक्त रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि संसद को भारत के राज्यक्षेत्र के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई है और किसी राज्य का विधानमंडल पूरे राज्य या राज्य के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकता है। संसद और राज्य विधानमंडल की शक्तियों को सातवीं अनुसूची में तीन सूचियों नामत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को शामिल करके परिभाषित किया गया है। संसद को संघ सूची की सातवीं अनुसूची की सूची-I में उल्लिखित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने

की अनन्य शक्तियां प्राप्त हैं। किसी संसद और राज्य विधानमंडल को समवर्ती सूची (भाग III) में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्तियां दी गई हैं, लेकिन संसद द्वारा बनाए गए कानून, दोनों के बीच किसी भी संघर्ष की स्थिति में, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून, पर हावी होते हैं। वर्तमान मामले में, हम संघ सूची (सातवीं अनुसूची की सूची I) की प्रविष्टि 66 से चिंतित हैं जिसमें संविधान के अनुच्छेद 246 का उल्लेख किया गया है। उपर्युक्त प्रविष्टि निम्नलिखित शब्दों में है:

6. यह स्पष्ट है कि प्रविष्टि 66 केवल उच्च शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों के लिए समन्वय और मानकों के निर्धारण से संबंधित है। यह सेवानिवृत्ति की आयु या वेतनमान के सवाल से संबंधित नहीं है। यूजीसी द्वारा जारी अधिसूचना जिसका शीर्षक है "विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वेतनमान न्यूनतम योग्यता और मानकों के रखरखाव के लिए अन्य उपाय, 1998 (अनुलग्नक पी. 1) में संशोधन पर अधिसूचना को बाध्यकारी माना जा सकता है। राज्य सरकार केवल विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता बनाए रखने की सीमा तक है, लेकिन सेवानिवृत्ति की आयु या यहां तक कि वेतनमान से संबंधित मामलों के संबंध में नहीं। उन संबंध में, राज्य सरकार का दृष्टिकोण ही मान्य होगा। इसलिए, प्रविष्टि 66 के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 245, 246 और 254 में निहित प्रावधानों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचना

लगभग असंभव है कि अधिसूचना (अनुलग्नक पी. 1), जैसा कि ऊपर बताया गया है, राज्य सरकार पर बाध्यकारी होगी"।

7. राज्य सरकार का दिनांक 13 मई, 1999 का निर्णय (अनुलग्नक पृष्ठ 5) शीर्षक 'सेवानिवृत्ति की आयु के अंतर्गत पैरा 19 से स्पष्ट है, जो निम्नानुसार है:

> सरकारी कॉलेजों में काम करने वाले शिक्षक 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होते रहेंगे और निजी संबद्ध कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में काम करने वाले शिक्षण कर्मी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होते रहेंगे।

8. यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि उत्तरदाताओं द्वारा 21 दिसंबर, 1998 के केंद्र सरकार के निर्णय (अनुबंध आर 1) पर निर्भर किया गया है, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह विभाग, भारत सरकार द्वारा हरियाणा राज्य को सूचित किया गया था और इसे संदर्भ की सुविधा के लिए यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> नोटिस में कहा गया है, 'कृपया पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ में 1 जनवरी, 1996 से वेतनमानों में संशोधन और अधिवषता की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने के संबंध में **इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज, लाडवा, जिला कुरुक्षेत्र** बनाम **हरियाणा राज्य और अन्य** जो प्राचार्य राजेश्वर

अग्रवाल द्वारा दायर 1998 की सी.डब्ल्यू.पी संख्या 17943 है, की एक प्रति संलग्न करें।

इस संबंध में, मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की अधिवषता की आयु को दिनांक 27 जुलाई, 1998 के पत्र (प्रति संलग्न) द्वारा बढ़ा दिया है। राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों की अधिवषता की आयु के बारे में निर्णय संबंधित राज्य सरकार द्वारा लिया जाना अपेक्षित है। केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 27 जुलाई, 1998 को जारी किया गया आदेश उनके लिए नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए, हमने पहले ही राज्य सरकारों से राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों के वेतनमानों में

संशोधन के संबंध में उचित आदेश जारी करने का अनुरोध किया है क्योंकि इस मामले में हरियाणा सरकार द्वारा उचित आदेश जारी किए जाने की आवश्यकता है। यह अनुरोध किया जाता है कि केंद्र सरकार की ओर से भी राज्य सरकार द्वारा मामले का बचाव किया जाए और हमें यह मामले में समय-समय प्रगति के बारे में सूचित किया जाए।

9. इस संदर्भ में इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने 31 मार्च, 1999 को दिए गए 1999 के सी.डब्ल्यू.पी संख्या 4124 (**प्रो लखमीर सिंह** बनाम **भारत संघ और अन्य**) में उपर्युक्त विवाद पर भी विचार किया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1998 की सिविल अपील संख्या 4053-4054

डॉ. (श्रीमती) एस.एल. सूद बनाम भारत संघ और अन्य

माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार

(**लोक शिक्षण निदेशक, पंजाब** बनाम **महेश चंदर और अन्य**) में 14 अगस्त, 1998 को दिए गए निर्णय पर निर्भर करते हुए माननीय न्यायमूर्ति ने यह अभिनिर्णित किया कि-

"पक्षकारों के वकीलों को सुनने के बाद हमारा यह मानना है कि इन रिट याचिकाओं में कोई दम नहीं है। मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र को किसी भी प्रकार से प्रविष्टि 66 के अंतर्गत नहीं कहा जा सकता है। हमारे अनुसार, वेतनमान के प्रश्न और अधिवषता की आयु के प्रश्न को उक्त प्रविष्टि द्वाराकवर नहीं किया जा सकता है। हम यहां केवल सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करने से संबंधित हैं। यह राज्य सरकार /विश्वविद्यालय परनिर्भरकरता है कि वह राज्य/विश्वविद्यालय की विशेष स्थिति के आधार पर सिफारिशों को पूर्णत अथवा आंशिक रूप से स्वीकार करे। महेश चंदर के मामले (सुप्रा) में, यूजीसी ने दिशानिर्देश जारी किए थे कि व्याख्याताओं के लिए कैरियर उन्नति योजना के तहत चयन ग्रेड/वरिष्ठ वेतनमान देने के उद्देश्य से, सरकारी कॉलेज में शामिल होने से पहले एक निजी कॉलेज में एक विशेष व्याख्याता द्वारा प्रदान की गई सेवा/ विश्वविद्यालय का कोई विभाग या महाविद्यालय द्वारा संचालित और चयन ग्रेड/वरिष्ठ वेतनमान प्रदान करने के लिए आवश्यक सेवा के वर्षों की विशिष्ट संख्या को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय को गिना जाना था। उन मामलों में याचिकाकर्ताओं ने निजी कॉलेजों से इस्तीफा देने के बाद सरकारी कॉलेजों में दाखिला लिया था। इस उच्च न्यायालय ने माना कि विश्वविद्यालय का परिपत्र कॉलेजों के लिए बाध्यकारी था और निजी कॉलेजों में प्रदान की गई पिछली

सेवाओं को वरिष्ठ पैमाने / चयन ग्रेड के उद्देश्य से गिना जाना था। शीर्ष अदालत ने फैसले को पलटते हुए कहा कि यूजीसी के परिपत्र को केवल विश्वविद्यालय द्वारा अपनाया गया था, सरकार द्वारा नहीं और इसलिए, सरकारी कॉलेजों में शामिल होने पर याचिकाकर्ता वरिष्ठ स्केल / चयन ग्रेड प्रदान करने के उद्देश्य से निजी कॉलेज में प्रदान की गई अपनी पिछली सेवा को गिनने के हकदार नहीं थे"।

10. **महेश चंद्र के मामले (सुप्रा)** में उच्चतम न्यायालय ने यह विचार किया है कि यूजीसी द्वारा जारी अधिसूचनाएं, जिनमें राज्य के खजाने पर वित्तीय बोझ शामिल है, तब तक वास्तविक रूप से लागू नहीं हो सकती हैं जब तक कि ऐसी अधिसूचनाओं को विशेष रूप से संबंधित राज्य सरकार द्वारा अपनाया और स्वीकार नहीं किया जाता। इस संदर्भ में महेश चंदर के मामले (सुप्रा) में निम्नलिखित टिप्पणियां की गईं-

> हलफनामे के पैराग्राफ 8 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 27 नवंबर, 1990 को जारी स्पष्टीकरण पर राज्य सरकार द्वारा, इसके कार्यान्वयन के लिए, राज्य के राजकोष पर वित्तीय बोझ शामिल है, पर विचार किया जाना चाहिए। इसके कार्यान्वयन के लिए राज्य की सहमति लेनी होगी। चूंकि राज्य की सहमति अभी तक नहीं दी गई है, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिनांक 27 नवंबर, 1990 के पत्र कालाभ, देना सही नहीं था। इसलिए, अपीलों को अनुमति

दी जाती है और उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द किया जाता है। उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका खारिज की जाती है।

11. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क कि यूजीसी की सिफारिशें राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी हैं, पूरी तरह से खारिज करने योग्य है क्योंकि यूजीसी ने अपनी सिफारिश में खुद राज्य सरकार पर छोड़ दिया है कि वह इस योजना को यथासंभव अपनाए।

12. **संत ध्यानेश्वर शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय (सुप्रा)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर याचिकाकर्ता की निर्भरता पूरी तरह से गलत है क्योंकि उनके माननीय न्यायमूर्ति द्वारा की गई टिप्पणियां वर्तमान मामले के तथ्यों पर इस कारण से लागू नहीं होती हैं कि केंद्र सरकार का कोई भी कानून हमारे ध्यान में नहीं लाया गया है जिसका राज्य सरकार द्वारा बनाए गए विधान द्वारा अतिक्रमण किया गया हो। इसलिए, विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क में कोई दम नहीं है। यहां तक कि दूसरा तर्क कि निजी कॉलेजों में कार्यरत व्याख्याताओं, जो 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और सरकारी कॉलेजों में कार्यरत व्याख्याता, जो 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, के बीच का भेदभाव, हमें प्रभावित करने में विफल रहा है क्योंकि दोनों सेवाओं को अलग-अलग नियमों द्वारा विनियमित किया जाता है और सेवा शर्तें पूरी तरह से अतुलनीय हैं। यह अच्छी तरह से तय है कि निजी कॉलेजों में कार्यरत व्याख्याता किसी भी भत्ते के हकदार नहीं हैं जो सरकारी कॉलेजों

में कार्यरत व्याख्याताओं को दिया जाता है। विद्वान वकील का अंतिम तर्क कि रस्तोगी आयोग द्वारा सुझावों, पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सुझावों को कभी अपनाया नहीं गया है और प्रतिवादी हरियाणा राज्य ने 13 मई, 1999 की अधिसूचना (पी -5) के माध्यम से सुझावों को स्कैन किया है और सेवानिवृत्ति की आयु के सुझाव को ना अपनाते हुए, बाक़ी सुझावों के एक हिस्से को अपनाया है।

13. हमारा यह भी विचार है कि राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन करने, अधिवषता की तारीख निर्धारित करके अधिवषता की आयु को कम करने की अपनी क्षमता के भीतर हैं और ऐसी कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 311 का उल्लंघन नहीं होगी। उपर्युक्त प्रस्ताव के लिए **एन लक्ष्मण राव और अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य और अन्य** [2]**और के नागराज** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य,**[3] के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर निर्भर किया जा सकता है।

14. ऊपर उल्लिखित कारणों के कारण, यह याचिका विफल हो जाती है और इसे खारिज कर दिया जाता है। हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

---

[2] (1976) 2 एस.सी.सी 502

[3] ए.आई.आर 1985 एस सी 551.

डॉ. (श्रीमती) एस.एल. सूद बनाम भारत संघ और अन्य

माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार

अनमोल कक्कड़
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer) करनाल, हरियाणा